धन-कर

1957 के अधिनियम 27 की धारा 35जक का संशोधन ।

60. धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 35जक में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी है, किया गया है और ऐसा अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है, तो, उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कंपनी जुर्माने से दंडित की जाएगी और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी बना रहेगा ।"।